मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

"विश्वकर्मा हाट"

पूर्णतया विकसित

मा० कांशीराम जी नगर योजना बी ब्लॉक

व्यवसायिक फुटकर दुकान भूखण्डों को

ई–नीलामी मे माध्यम से प्राप्त करने

का

"स्वर्णिम अवसर"

विवरणिका

मूल्य रू० 1500/– (Non Refundable)

(जी०एस०टी० सहित)

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

''विश्वकर्मा हाट'' योजना के मुख्य अकर्षण एवं विशेषताएं :–

- छोटे एवं मध्यम व्यवसायियों को दुकान हेतु भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।
- पूर्ण रूप से विकसित मा0 कांशीराम जी नगर योजना में स्थित।
- विश्वकर्मा हाट स्थल के सामने पूर्णतया विकसित शॉपिंग सेन्टर।
- स्थल पर सभी मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध।
- मुरादाबाद के मुख्य मार्ग दिल्ली रोड़ एवं कांठ रोड़ से मात्र 10 मिनट की दूरी।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

रिक्त सम्पत्तियों का विवरण

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि : 22.11.2023 प्रातः 10:00 बजे

पंजीकरण समाप्ति तिथि : 08.12.2023 रात्रि 11:59 बजे

ई–नीलामी तिथि : 13.12.2023 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

क्र० सं०	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित भूखण्ड क्षेत्रफल (व०मी०)	भूखण्ड की स्थिति	आरक्षित दर (रू०)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य (रू०)	पंजीकरण धनराशि (कुल मूल्य का 10 %)(रू०)
1	Shop Plot	Plot No 01	45	12 / 12 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
2	Shop Plot	Plot No 02	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
3	Shop Plot	Plot No 03	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
4	Shop Plot	Plot No 04	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
5	Shop Plot	Plot No 05	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
6	Shop Plot	Plot No 06	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
7	Shop Plot	Plot No 07	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
8	Shop Plot	Plot No 08	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
9	Shop Plot	Plot No 09	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
10	Shop Plot	Plot No 10	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
11	Shop Plot	Plot No 11	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
12	Shop Plot	Plot No 12	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
13	Shop Plot	Plot No 13	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
14	Shop Plot	Plot No 14	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
15	Shop Plot	Plot No 15	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
16	Shop Plot	Plot No 16	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
17	Shop Plot	Plot No 17	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
18	Shop Plot	Plot No 18	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
19	Shop Plot	Plot No 19	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00
20	Shop Plot	Plot No 20	45	12.00 मी० चौड़ी सड़क	50000.00	2250000.00	225000.00

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

''विश्वकर्मा हाट'' के फुटकर दुकान भूखण्डों का ले–आउट

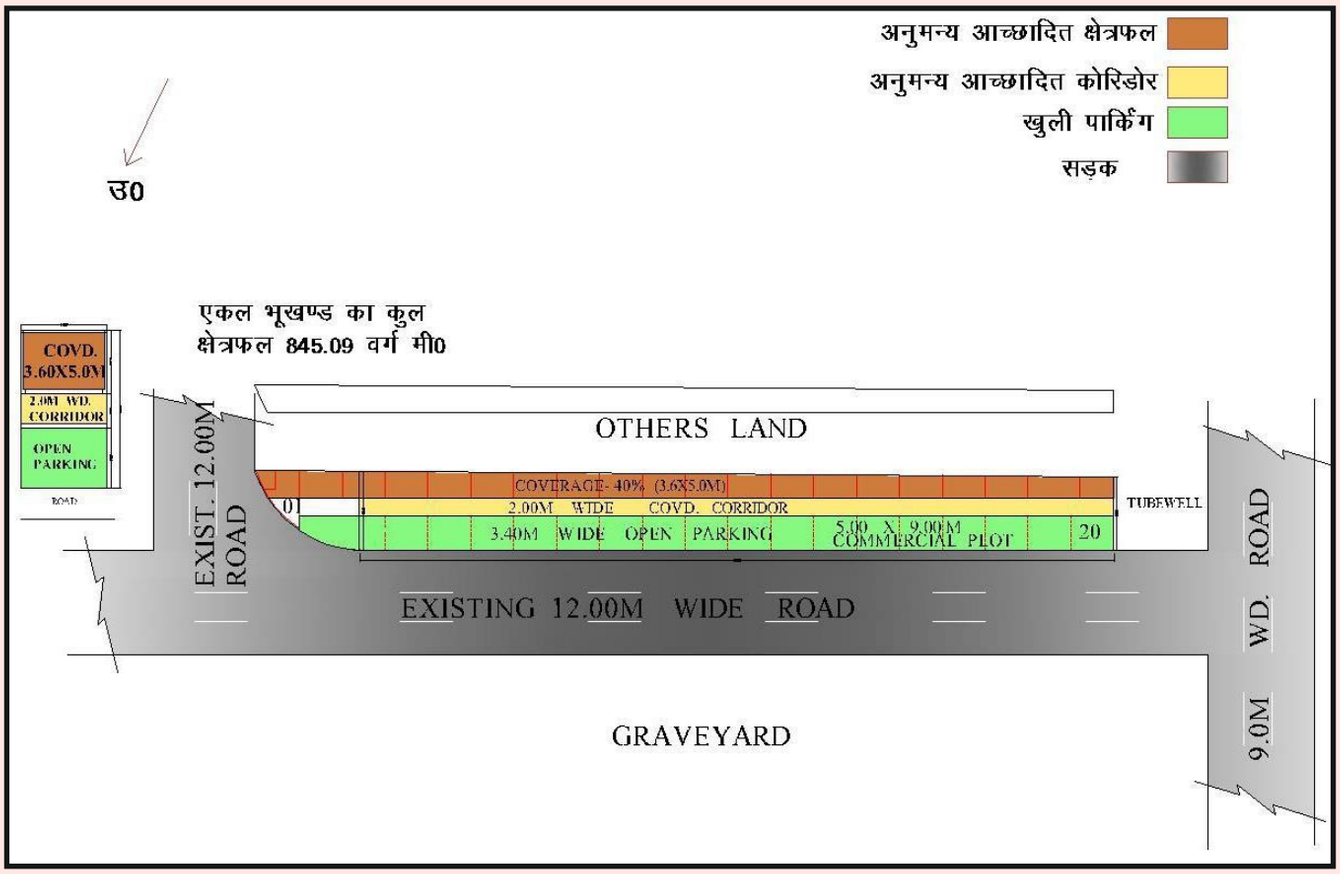

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

"विश्वकर्मा हाट" का पहुंच मार्ग

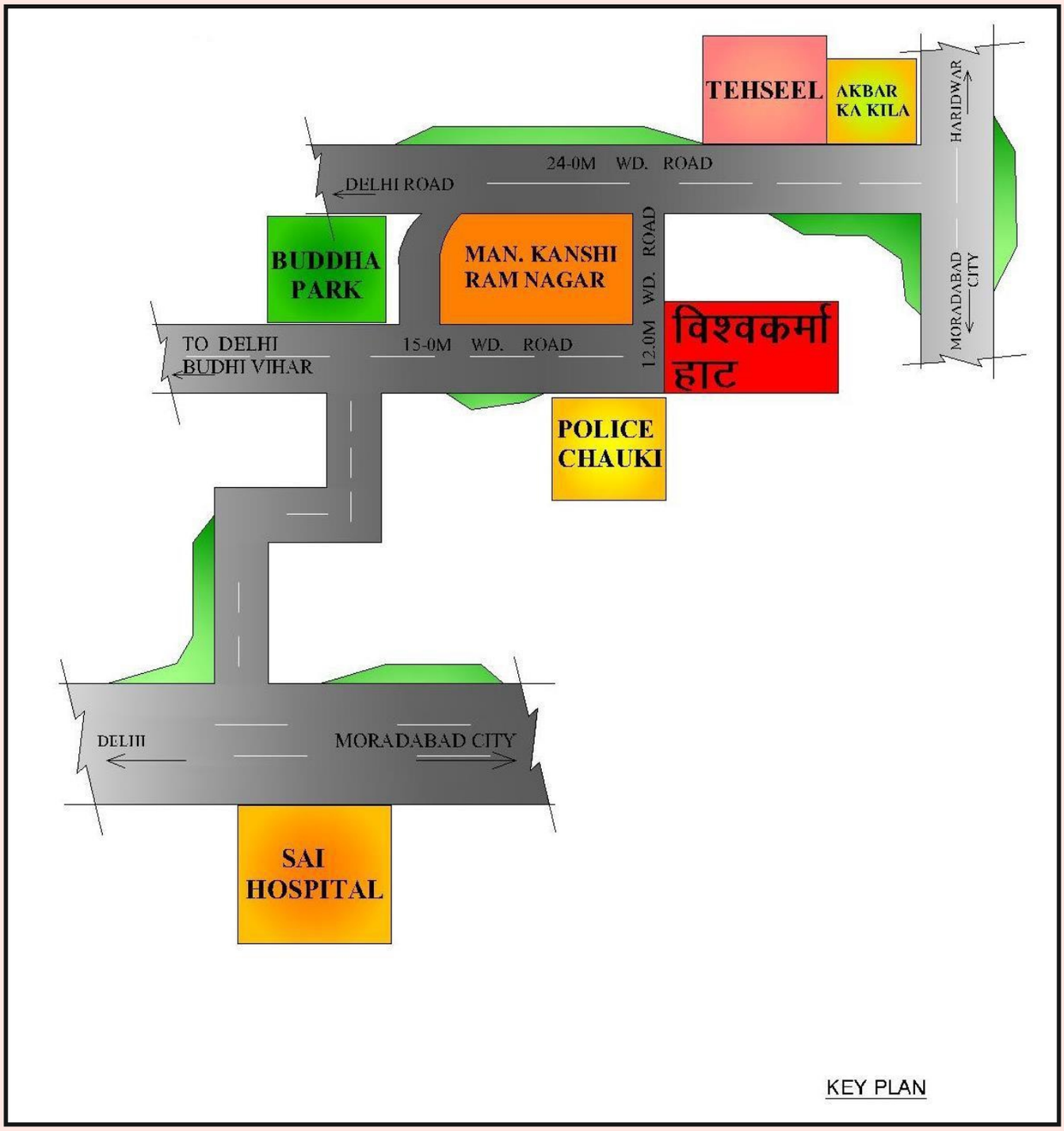

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

नियम एवं शर्तें

1. ई–नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति ''जहां हैं–जैसे हैं'' के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। ई–नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने तथा ई–नीलामी पोर्टल पर प्राधिकरण का ऑफर प्रदर्शित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली प्राप्त होने अथवा आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त आवेदक का सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार की कमी का उल्लेख करना मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेतागण समय–समय पर किसी भी ऑफर को देखने हेतु उक्त पोर्टल पर लॉगिन करते रहें, जिससे उपलब्ध सम्पत्तियों की जानकारी एवं किसी भी शर्त में संशोधन का भी संज्ञान हो सके।
2. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
3. सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली आरक्षित दर रू० 50,000.00 प्रति व० मी० है के ऊपर न्यूनतम 1 प्रतिशत के अन्तर पर होगी जो ई–नीलामी प्रक्रिया में स्वतः दिखेगा। अधिकतम सीमा कोई भी हो सकती है
4. सम्पत्ति की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुये जमा करना होगा। अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 03 (तीन) मासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा MCLR+3.5 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 08 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तो में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 02 (दो) प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
5. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष उच्चतम बोली की अवशेष राशि आवंटन पत्र निर्गत होने कि तिथि से एक माह के अन्दर एक मुश्त जमा किया जाता है तो सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी, जिसे अन्य शुल्कों में निबन्धन से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 द्वारा निर्गत शासनदेश सं० 780/आठ–1–9/2009 दिनांक 27, फरवरी 2009 के क्रम में रोड़ शुल्क, पार्क शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र कॉर्नर शुल्क (10 प्रतिशत) देय होगा एवं लीज़–होल्ड शुल्क 10 प्रतिशत, विलेख शुल्क, वाटर–सीवर कनैक्शन शुल्क अतिरिक्त देय होंगे।
7. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
8. आवंटित सम्पत्ति पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अथवा किसी अपरिहार्य कारण से सम्पत्ति का कब्जा देने में विलम्ब / बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति / ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
9. सम्पत्ति का कब्जा विक्रय विलेख के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
10. आवंटित सम्पत्ति पर प्रधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमन्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी।
11. आवंटित सम्पत्ति के लिये भू–आच्छादन, एफ.ए.आर एवं ऊँचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही अनुमन्य होंगे।
12. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो 10 प्रतिशत आवंटन दर पर शेष 90 प्रतिशत तदसमय लागू सर्किल दर पर धनराशि का भुगतान किया जाना होगा, जो आवंटी को मान्य होगा एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनिराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।
13. किसी भी ई–नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तो जमा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

15. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किश्तों के भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

16. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किश्तों के भुगतान की निर्धारित तिथि के पश्चात सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 30 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

इस प्रकार शर्त सं० 15 एवं 16 में वापस की जाने वाली धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. आंवटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने पर उन्हे डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त करने के उपरान्त प्रस्तर 17 के अनुसार पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये एवं सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि में तद्‌नुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

18. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

20. किसी भी सम्पत्ति की ई–नीलामी तभी प्रारम्भ होगी जब न्यूनतम तीन आवेदकों द्वारा आवेदक कर पंजीकरण कराया गया हो।

21. ई–नीलामी हेतु निर्धारित अवधि अथवा नीलामी प्रारम्भ की तिथि एवं समय से पूर्व पंजीकरण धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो, आवेदक नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस हेतु प्राधिकरण का सुझाव है कि पंजीकरण समाप्ति तिथि के कम से कम तीन दिवस पूर्व तक ही पंजीकरण धनराशि का भुगतान कर दिया जाये।

22. ई–नीलामी में असफल आवेदकों द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि नीलामी की तिथि से 30 दिवस में ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।

23. यदि ई–नीलामी प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित समापन समय की समयावधि पूर्ण होने के अन्तिम पांच मिनट में किसी ई–नीलामीदाता द्वारा विड की जाती है, तो ई–नीलामी का समय 05 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा तथा यह प्रक्रिया नीलामी के पूर्ण होने तक चलती रहेगी।

24. विश्वकर्मा हाट का भूखण्ड 90 वर्षों की लीज पर आवंटित किया जायेगा, जो अन्तरणीय होगा।

25. ई–नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण करते ही स्वतः यह मान्य होगा कि आवेदक द्वारा सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है तथा उसे सभी शर्तें मान्य हैं।

सचिव **उपाध्यक्ष**

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

आवेदन प्रक्रिया

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्था ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्राधिकरण के ई–नीलामी पोर्टल https://public.erpupda.com को अपने कम्प्यूटर के ब्राउजर पर https://public.erpupda.com पर टाइप कर क्लिक करेंगे, जिस पर मुख्य पेज प्रदर्शित होगा। मुख्य पेज पर ही ई–नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में ट्रेनिंग एवं जानकारी के लिए विवरण को क्लिक करने पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ई–नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों एवं शर्तों इत्यादि को डाउनलोड करके समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदक ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक है, तो सर्वप्रथम विवरण पुस्तिका को पोर्टल से क्रय करके ही पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात ही ई–नीलामी हेतु पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

2. पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू.पी.आई एवं आर.टी.जी.एस /एन.ई.एफ.टी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जायेगी।
   - आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी के माध्यम से पंजीकरण धनराशि के भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे से चालान प्रिंट करते हुए सम्पत्ति के सापेक्ष देय पंजीकरण धनराशि चालान में अंकित खाता संख्या एवं बैंक नाम से भुगतान करना होगा।
   - यदि आई.सी.आई.सी.आई पेमेंट गेटवे में किसी भी प्रकार की असुविधा है तो मोबाईल नम्बर +91–9324953820 पर एवं ई–मेल cmssupport@icicibank.com पर सम्पर्क करें।
   - प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad.up.gov.in पर स्थित लिंक से भी ई–नीलामी पोर्टल पर जा सकते हैं।

3. ई–नीलामी हेतु पोर्टल https://public.erpupda.com से ही नियम एवं शर्तों की पुस्तिका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं यू.पी.आई. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात क्रय की जायेगी।

4. पंजीकरण के समय पंजीकरण धनराशि जमा करने से पूर्व पोर्टल पर आवेदक द्वारा समस्त व्यक्तिगत जानकारी यथा नाम, जन्मतिथि, ई–मेल, फोन नम्बर सही भरेंगे तथा आधार काड, पैन कार्ड, फोटो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आवंटन के समय कोई जानकारी/प्रपत्र असत्य/कूटरचित पाये जाते हैं, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर, आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

5. किसी भी सहायता हेतु प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक कार्य दिवस में मोबाइल संख्या +91–7906598448 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

शपथ पत्र (रू० 100/– के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
..... आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....
.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूं/करती हूं:–

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत.....हेतु
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)
पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रू0..... पंजीकरण धनराशि दिनांक..... को प्राधिकरण खाते में ऑनलाइन जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।
2. मैं बालिग हूं तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रहीं हूं और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मैंने पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखत नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूं।
5. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
6. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित सम्पत्ति की सभी शर्तों व नियम मान्य है।
7. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि जब तक सम्पत्ति का विक्रय विलेख/लीज डीड निष्पादित नहीं होने तक मुझे सम्पत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा।
8. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित सम्पत्ति का कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा सम्पत्ति की रजिस्ट्री न कराऊं तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा सम्पत्ति का आवंटन रद्द करने तथा सम्पत्ति पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
9. ऊपर मैने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ–पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणः– मैं एतद्द्वारा बयान करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 09 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

एक सुन्दर शहर– हमारा संकल्प

हम जानते हैं कि आप पर्यावरण के हितैषी है

जल अमूल्य है, जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

सेक्टर–13 नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद

website :- mdamoradabad.up.gov.in

email :- mrdda@nic.in

ICICI Bank